नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा।

सं0 नौएडा/जी0एच0पी0/2025/ 4684
दिनांक......22/5/...... 2025

Deputy Registrar Firms, Societies & Chits
Govt. of Uttar Pradesh
Plot No. Khasra 119 Gulghar,
Raj Nagar Extension, Ghaziabad-201002

विषयः— भूखण्ड सं0— जीएच0—01/ए, सैक्टर—74 नौएडा में स्थित परियोजना सुपरटेक केपटॉउन सोसायटी के ए0ओ0ए0 के चुनाव में Non Registered Owner को मतदान करने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक भूखण्ड सं0— जीएच0—01/ए, सैक्टर—74 नौएडा में स्थित परियोजना सुपरटेक केपटॉउन के निवासी श्री नवीन चन्द्र दुबे के पत्र दिनांक 16.05.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उन्होंने नौएडा प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय पत्र सं0— 4383 दिनांक 15.05.2025 को निरस्त करने व वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया।

अवगत कराना है कि प्रकरण में विधिक राय प्राप्त करने हेतु पत्रावली विधि विभाग को प्रेषित की गई जिसमें विधि विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में कार्यवाही डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स कार्यालय अथवा रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त निर्वाचक अधिकारी द्वारा की जानी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय पत्र सं0— 4126 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया है कि यू0पी0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 की नियम व शर्तो के अनुसार जिन फ्लैट आवंटियों के पक्ष में फ्लैट की उप पट्टा प्रलेख पंजीकृत नही कराया गया है वह अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के होने वाले चुनाव में मतदान नही कर सकते है।

अतः विधिक राय के दृष्टिगत एवं कार्यालय पत्र सं0— 4126 दिनांक 28.06.2018 के क्रम में प्रकरण में कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से ग्रुप हाउसिंग विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

यह पत्र उच्चादेशों के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

प्रबन्धक(ग्रु0हा0)

प्रतिलिपिः—

1. विशेष कार्याधिकारी—ग्रु0हा0 महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबन्धक(ग्रु0हा0)